

सभी सम्बंधित: सोलापुर मंडल

विषय : कार्मिक शाखा में काम-काज सुचारु रूप से चलाने एवं कर्मचारियों से सम्बंधित शिकायत निवारण हेतु विशेष सूचना।

उपर्युक्त विषयक के आलोक में सूचित करना है कि कार्मिक शाखा में बहरी कर्मचारियों का सुबह से शाम तक आना-जाना लगा रहता है जिसके कारण कार्मिक शाखा के कर्मचारियों द्वारा कार्य निष्पादन में असुविधा उत्पन्न हो रही है इसलिए कार्मिक शाखा द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि सुबह 09.30 से दोपहर बाद 15.30 बजे तक केवल कार्यालयीन कार्य समय (Salient working hours) रखा गया है। इस अवधि में कोई भी बाहरी कर्मचारी कार्मिक शाखा में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसी सबों से अपेक्षा है।

दोपहर बाद 15.30 बजे के बाद कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर कार्मिक शाखा में पधार सकते हैं, बिना किसी शोरगुल के आराम से अपना कार्य करवा सकते हैं, ऐसी आप समस्त कर्मचारियों से अपेक्षा है। साथ ही कार्मिक शाखा के कर्मचारियों को यह आदेश दिया जाता है कि बहार से अपने समस्या को लेकर आने वाले कर्मचारियों के साथ सही वर्ताव एवं कुशल व्यवहार करें और शीघ्र ही सम्बंधित समस्या का हल करें ताकि एक ही कर्मचारी को बार-बार कार्मिक शाखा का चक्कर लगाने की जरूरत ना हों। सभी कर्मचारियों से यह भी अनुरोध है कि वे HRMS Grievance Module का ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लावें।

उपरोक्त सूचना सोलापुर मंडल की वेबसाइट: www.cr.indianrailways.gov.in पर अपलोड किया गया है, इस प्रकार से विजिट कर About us > Divisions > Solapur > Personnel > Notification सेक्शन में देखें।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है, कृपया इसे तत्काल प्रभाव से लागु करें और कराई के साथ अनुपालन करें।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
सोलापुर

प्रति :

DRM, ADRM : सोलापुर मंडल कृपया सूचनार्थ।

सभी शाखा अधिकारी : सोलापुर मंडल कृपया सूचनार्थ।

सभी कार्मिक कर्मचारी : सोलापुर, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

मंडल सचिव NRMU, CRMS, AIOBCREA & AISCSTREA: सोलापुर, कृपया सूचनार्थ एवं व्यपक प्रचार-प्रसार हेतु।

सभी सभी सेक्शनल कार्मिक कल्याण निरीक्षक : सोलापुर, सूचनार्थ एवं व्यपक प्रचार-प्रसार हेतु।